न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सूरजपुर, जिला सूरजपुर (छ.ग.)

रा.अ.प्र.क्र.–20250326030001 / अ–62 / 2024–25

साकिन बसदेई, तहसील सूरजपुर

तुलसी पिता स्व. चैन साय,
निवासी वार्ड क्रमांक 15 महुआपारा सूरजपुर
सूरजपुर, जिला सूरजपुर (छ.ग.)

.....आवेदक

प्रति,

छ.ग. शासन .....अनावेदक

//आदेश//

(पारित दिनांकः– 6 /03/2025)

यह प्रकरण आवेदक तुलसी पिता स्व. चैन साय, निवासी वार्ड क्रमांक–15 महुआपारा सूरजपुर, जिला सूरजपुर (छ.ग.) के द्वारा वार्ड क्रमांक–15 महुआपारा सूरजपुर में रमेश लकड़ी मिल के पीछे, बाबूलाल के घर के पास शीशम का वृक्ष पूर्ण रूप से सुख गया है एवं भविष्य में कभी भी गिर सकता है जिससे बाबूलाल एवं आवेदक तुलसी का घर क्षतिग्रस्त हो जाने तथा जन–धन के क्षति होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए उक्त शीशम वृक्ष की कटाई कराने की अनुमति हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर प्रारम्भ किया गया।

2. आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर राजस्व एवं वन विभाग से प्रतिवेदन लिया गया। राजस्व निरीक्षक सूरजपुर के द्वारा अपने प्रतिवेदन दिनांक–28.01.2025 में उल्लेख किया गया है कि ग्राम सूरजपुर स्थित भूमि खसरा नम्बर 2406 रकबा 0.0160 हे. भूमि पर शीशम के सूखा हुआ पेड़ का मौका जांच आवेदन एवं ग्रामवासियों की उपस्थिति में किया गया। मौका जांच में यह पाया गया कि शीशम का पेड़ दो नग करीबन तीस वर्ष पुराना है यह बात उपस्थित ग्रामवासियों द्वारा बताया गया। उक्त शीशम का पेड़ पूर्ण रूप से सूख गया है और उसका डगाल टूट–टूट कर आवेदक का खपरैल के मकान पर गिर जाता है, और यह पेड़ कभी भी गिर सकता है, जिससे अन्य ग्रामवासियों को क्षति हो सकता है।

उपवनपरिक्षेत्राधिकारी, वनपरिक्षेत्र सूरजपुर (छ.ग.) के प्रतिवेदन दिनांक–23.01.2025 अनुसार सूखे वृक्ष शिशु प्रजाति का जांच किया गया। जांच में यह पाया गया कि आवेदक के घर के बगल में तीन (3) नग, शिशु प्रजाति के वृक्ष है जो पूर्ण रूप से सूख कर आवासीय घर के उपर झुका हुआ है। जिन वृक्षों की गोलाई क्रमशः 130 से.मी., 120 से.मी., 126 से.मी. है जो सभी राजस्व भूमि के व्यक्तिगत खसरे पर है।

3. आवेदक के द्वारा अपने शपथ पूर्वक कथन दिनांक–03.03.2025 में वार्ड क्रमांक–15 महुआपारा सूरजपुर में रमेश लकड़ी मिल के पीछे, बाबूलाल के घर के पास 2 नग शीशम के वृक्ष पूर्ण रूप से सुख गये है एवं भविष्य में कभी भी गिर सकता है जिससे बाबूलाल एवं आवेदक तुलसी का घर क्षतिग्रस्त हो जाने तथा जन–धन के क्षति होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए उक्त शीशम वृक्ष की कटाई कराने की अनुमति/अनापत्ति प्रदान करने का कष्ट करें, जिसके लिए सभी शर्ते मुझे मान्य है।

4. राजस्व निरीक्षक एवं वन विभाग के द्वारा अपने प्रतिवेदन साथ ग्राम बसदेई, तहसील सूरजपुर का खसरा पंचशाला संलग्न किया गया है। राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन अनुसार आवेदित भूमि ग्राम बसदेई स्थित खसरा नम्बर 2406 रकबा 0.0160 हे. भूमि में मौके पर 2 नग सूखे शीशम के वृक्ष पाये गये। छ.ग. राजपत्र (असाधारण) के अधिसूचना दिनांक–11

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
सूरजपुर, जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

फरवरी 2022 के कण्डिका 08 रोपित वृक्षों की कटाईः–(1) छत्तीसगढ़ वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 (क्र. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन (वन उपज) नियम, 2001 के प्रावधानों के अंतर्गत रहते हुए, भूमिस्वामी अपने खाते में कृषि के रूप में रोपित वृक्षों की कटाई राजस्व अभिलेखों में पंजीयन के आधार पर करवा सकेगा।"

अतएव आवेदक तुलसी पिता स्व. चैन साय, निवासी वार्ड क्रमांक–15 महुआपारा सूरजपुर, जिला सूरजपुर (छ.ग.) को बाबूलाल एवं आवेदक तुलसी का घर क्षतिग्रस्त हो जाने तथा जन–धन के क्षति होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए उक्त शीशम वृक्ष की कटाई को भी दुर्घटना/जनहानि होने की संभावना होने से जनहित में ग्राम सूरजपुर स्थित भूमि खसरा नम्बर 2406 रकबा 0.0160 हे. भूमि पर स्थित 2 नग सूखे शीशम वृक्षों को काटे जाने की अनुमति निम्न शर्तो के अधीन छ.ग. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 240, 241 व छ.ग. राजपत्र (असाधारण) के अधिसूचना दिनांक 11 फरवरी 2022 में दिये गये प्रावधानों के एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 152 के तहत् प्रदान की जाती है।

4.2 शर्तेः–

(एक) वृक्षों की कटाई, छत्तीसगण वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1969 (क्र. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन (वन उपज) नियम, 2001 के प्रावधानों के अंतर्गत रहते हुए, भूमिस्वामी वृक्षों की कटाई कर सकेगा।

(2) भूमिस्वामी द्वारा लिखित में इच्छा व्यक्त किए जाने पर उसके खाते में कृषि के रूप में रोपित वृक्षों की कटाई वन विभाग द्वारा की जा सकेगी। आवेदन प्राप्ति के 30 कार्य दिवस के भीतर, वन मण्डाधिकारी वृक्षों की कटाई एवं डिपो तक परिवहन सूनिश्चित करते हुए एवं निर्धारित दर पर लकड़ी का मूल्य परिगणित करते हुए कुल मूल्य का 90 प्रतिशत राशि भूमिस्वामी के बैंक खाते में निक्षेपित करेंगे एवं शेष 10 प्रतिशत राशि वन विभाग के निर्धारित खाते में जमा की जायेगी। जमा राशि से प्रत्येक काटे जाने वाले वृक्ष के 10 गुना की संख्या में वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण एवं उनका अनुरक्षण किया जाएगा। वन विभाग द्वारा न्यूनतम 06 फिट के वृक्ष रोपित किये जाएंगे एवं रोपण की जानकारी प्रत्येक वर्ष अधोहस्तक्षरकर्ता के माध्यम से कलेक्टर महोदय को दी जायेगी।

आज दिनांक–06/03/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा सहित आदेश खुले न्यायालय में पारित एवं उद्घोषित्।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
सूरजपुर, जिला–सूरजपुर (छ.ग.)
सूरजपुर, दिनांक 06/03/2025

पृ.क्र./2223/वाचक–1/2025
प्रतिलिपि,

1. **वनमण्डाधिकारी, सूरजपुर , जिला सूरजपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।**
2. **तहसीलदार सूरजपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।**
3. **आवेदक तुलसी पिता स्व. चैन साय, निवासी वार्ड क्रमांक–15 महुआपारा सूरजपुर, जिला सूरजपुर (छ.ग.)**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सूरजपुर, जिला–सूरजपुर (छ.ग.)

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
सूरजपुर, जिला–सूरजपुर (छ.ग.)